फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

सोनाराम वगैरा — बनाम — लालूराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 152/18 / 18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.05.18	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा रेवाली पटवार मण्डल हरखाली व मौजा खेजड़ीयाली पटवार मण्डल झाक तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण बाधा, हस्तक्षेप करने व निर्माण कार्य करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 11.07.2018 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा रेवाली पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खसरा नम्बर 210, 322/210, 207, 208, 209, 219 रकबा क्रमशः 104.10, 04.10, 00.10, 00.04, 00.04, 00.08 बीघा व मौजा खेजड़ीयाली पटवार मण्डल झाक के खसरा नम्बर 258, 260 रकबा क्रमशः 166.05, 144.03 बीघा की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप कारित नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण करें। मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 11.07.2018 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested

11/07/18 प्रार्थी संख्या-1 व प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 06/08/18 को पेश हो तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO)
बारां

06/08/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है अतः पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 05/11/18 को पेश हो, तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

05/11/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 19/12/18 को पेश हो तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

19/12/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/02/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/02/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 29/05/19 को पेश हों।	
29/05/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 11/06/19 को पेश हों।	
11/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त/ प्रार्थी वकील अप्रार्थीगणों के नोटिस पुनः पेश करें पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 10/07/19 को पेश हो/ तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा/ सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
10/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित/ प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थीगणों के नोटिस पुनः पेश नहीं किये गये, क्योंकि पेश करना चाहते है/ प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते आंशिक स्थगन विड्रो करने बाबत का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा - खेजड़ियाली पटवार मण्डल - झाक के खसरा नम्बर - 258 रकबा - 166.05 बीघा व खसरा नम्बर - 260 रकबा - 144.03 बीघा भूमि में प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगणों के आपस में समझौता हो गया है जिस हेतु उक्त खसरा नम्बरों का पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07/05/18 में से बहाल किया जावे का निवेदन	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म ...
	कीया गया। अत: प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को न्यायहित में स्वीकार कीया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07/05/18 से मौजा-खेजड़ियाली पटवार मण्डल झाड़ के खसरा नम्बर-258 रकबा-166.05 व खसरा नम्बर-260 रकबा-144.03 बीघा को अस्थाई निषेधाज्ञा से ~~बहाल~~ कीया जरिये विड्रोल बहाल कीया जाता है। शेष स्थगन पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। अत: पत्रावली कार्यवाही दिनांक 20/08/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]
20/08/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा पूर्व आदेश की पालना नहीं की गई। कार्यवाही करना चाहते हो कथन कीया जाकर पत्रावली दिनांक 25/09/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। (हस्ताक्षर)
15.7.2020	पत्रावली आज वादी/प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रस्तुत हुई। Not Press में स्थगन व प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 15.7.2020 सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]

Not Press
(हस्ताक्षर) 15/7/2020

सेवामें,
प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 15:33:11 IST
Reason: SelfAttested